- ***माननीय न्यायमूर्तिएम. एम. एस. बेदी और न्यायमूर्ति अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल के समक्ष***

दीपिका @ रिया–*अपीलकर्ता*

बनाम

राहुल-प्रतिवादी

2017 का एफएओ नंबर एम -260

अगस्त 28, 2018

हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955-धारा 13-ख-अपीलकर्ता और प्रतिवादी ने हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 13-ख के अधीन आपसी सहमति से विवाह के विघटन के लिए एक संयुक्त याचिका दायर की थी-श्वेत अभिलेखन वक्तव्य संयुक्त प्रस्ताव पर, अपीलार्थी पत्नी को 15 लाख रुपए की सहमत राशि में से 7 लाख रुपए प्राप्त हुए थे-मामला स्थगित होता रहा, लेकिन प्रतिवादी पति शेष 8 लाख रुपए का भुगतान नहीं कर सका, और 18 महीने की अवधि बीत गई- ट्रायल कोर्ट ने याचिका को निरर्थक बताते हुए खारिज कर दिया, क्योंकि अधिनियम की धारा 13 के अनुसार, याचिका को अधिकतम 18 महीने तक लंबित रखा जा सकता है- उच्च न्यायालय के समक्ष, दोनों पक्षों ने अलग-अलग रहने के अपने इरादे को दोहराया और अपीलकर्ता ने शेष राशि प्राप्त करना स्वीकार किया- काउंट ने माना कि अधिनियम की धारा 13-बी (2) के तहत निर्धारित अवधि निर्देशिका है और अनिवार्य नहीं है- ट्रायल कोर्ट का आदेश निर्धारित एक तरफ और मामले को दूसरे प्रस्ताव चरण में बयान दर्ज करने के लिए रिमांड पर लिया गया यदि पक्ष इच्छुक हैं - अपील की अनुमति दी गई है।

माना जाता है कि हमने उक्त निर्णय के अनुपात और हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13-बी (2) के दायरे पर विचार किया है और हमारी राय है कि 18 महीने की अवधि की समाप्ति के हर मामले में कोई सीधा सूत्र नहीं रखा जा सकता है। प्रत्येक विशेष मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखा गया है। यदि दोनों पक्ष अपनी सहमति वापस नहीं लेते हैं और दूसरे प्रस्ताव चरण में बयान की रिकॉर्डिंग को स्थगित करने के लिए उचित आधार हैं और आपसी सहमति से विवाह के विघटन की मांग करने के लिए पार्टियों का इरादा वापस नहीं लिया जाता है, तो न्यायालय के पास हमेशा अवधि बढ़ाने का विवेक है। हम वर्तमान मामले को ऐसा पाते हैं कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13-बी (2) में निर्धारित 18 महीने की अवधि को बढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित दोनों पक्षों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उन्होंने अपनी सहमति वापस नहीं ली है।

(8 परोसता है)

आगे कहा कि अपील की अनुमति दी जाती है। दिनांक 27.09.2017 के आदेश को रद्द किया जाता है और यह आदेश दिया जाता है कि दोनों पक्ष 15.09.2018 को निचली अदालत के समक्ष उपस्थित होंगे। निचली अदालत/उत्तराधिकारी न्यायालय उक्त तिथि पर मामले को उठाएगा और यदि पक्ष दूसरे प्रस्ताव चरण में अपना बयान दर्ज कराने के लिए तैयार हैं, तो उक्त तारीख को दूसरा प्रस्ताव चरण माना जाएगा जहां दोनों पक्ष अपने बयान देने के हकदार होंगे। यदि दोनों पक्ष उक्त तारीख या किसी अन्य बाद के दिन बयान देते हैं, जैसा कि न्यायालय के लिए सुविधाजनक हो, तो यह निचली अदालत के लिए खुला होगा कि वह पार्टियों को तलाक की डिक्री प्रदान करे।

(9 परोसता है)

राजेश सेठी, अधिवक्ता, *अपीलकर्ता के लिए।*

प्रतिवादी के लिए जस्माइल सिंह बराड़, अधिवक्ता।

एम.एम.एस. बेदी, जे (मौखिक)

मुख्यमंत्री-15647-सीआईआई-2018

(1) विविध आवेदन की अनुमति है।

(2) दस्तावेज अनुबंध ए-1 और ए-2 को रिकॉर्ड पर लेने की अनुमति है।

एफएओ-एम-260-2017

(3) दोनों पक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हैं।

(4) अपीलकर्ता-पत्नी दीपिका @ रिया, जो अदालत में उपस्थित थी, ने इस आशय का बयान दिया है कि उसे 22.12.2015 को प्रथम प्रस्ताव चरण में बयान दर्ज करने के समय 7 लाख रुपये की राशि मिली थी। तत्पश्चात्, छह माह की सांविधिक अवधि के भीतर शेष 8 लाख रुपए का भुगतान न करने और पक्षकारों के बीच हुए समझौते की शर्तों का अनुपालन न करने के कारण हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 13-ख के अंतर्गत याचिका का 18 माह की अवधि के भीतर निस्तारण नहीं किया जा सका, जिसके परिणामस्वरूप अपर जिला न्यायाधीश, सिरसा ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13-बी के तहत याचिका खारिज कर दी है। हालांकि, उन्होंने स्वीकार किया कि अब तक दोनों पक्षों के बीच सहमत 15 लाख रुपये की पूरी राशि उन्हें मिल चुकी है और हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13-बी के तहत आपसी सहमति से तलाक के लिए याचिका निचली अदालत के समक्ष पक्षकारों द्वारा दायर की जानी चाहिए।

(5) अदालत में मौजूद प्रतिवादी-पति राहुल ने कहा है कि उन्होंने पहली सुनवाई में दी गई अपनी सहमति वापस नहीं ली है, लेकिन पैसे की कमी के कारण, वह 8 लाख रुपये की राशि की व्यवस्था नहीं कर सके। उक्त राशि की व्यवस्था के बाद, अपीलकर्ता-पत्नी को सौंप दिया गया है। उन्होंने प्रार्थना की है कि तलाक की डिक्री आपसी सहमति से दी जाए क्योंकि सुनवाई की पहली तारीख यानी 22.12.2015 को दी गई सहमति को पक्षकारों द्वारा वापस नहीं लिया गया है।

(6) हमने वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है और पाया है कि दोनों पक्षों ने 22.12.2015 को हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13-बी के तहत एक याचिका दायर की थी, जिस तारीख को अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, सिरसा द्वारा उनके बयान दर्ज किए गए थे। उन्हें निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए छह महीने की अवधि दी गई थी, इसलिए मामले को 01.07.2016 के लिए स्थगित कर दिया गया था। 01.07.2016 को एक पक्षकार दीपिका @ रिया उपस्थित नहीं हुई। हालांकि, उनके वकील ने स्थगन के लिए अनुरोध किया, दूसरे प्रस्ताव चरण में दोनों पक्षों के बयान दर्ज करने के

लिए मामले को 12.08.2016 तक स्थगित कर दिया गया। दिनांक 12.08.2016 और 23.09.2016 को दोनों पक्षों के अनुरोध पर मामला स्थगित कर दिया गया। 24.10.2016 को, फिर से अपीलकर्ता-पत्नी दीपिका @ रिया अदालत के समक्ष उपस्थित नहीं हुईं क्योंकि इस तरह मामला 08.11.2016 को स्थगित कर दिया गया। उक्त तिथि पर, अपीलकर्ता-पत्नी दीपिका @ रिया द्वारा पुनर्विचार के लिए एक आवेदन दायर किया गया था और अपने बेटे के भविष्य के हित को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने के लिए, इस तरह मामला 22.06.2017 को स्थगित कर दिया गया था। 22.06.2017 को, प्रतिवादी-पति राहुल की ओर से प्रथम गति चरण में बयान दर्ज करने के समय उसके द्वारा भुगतान किए गए 7 लाख रुपये की वापसी के लिए एक आवेदन दायर किया गया था। इसके बाद, उक्त आवेदन का जवाब दाखिल करने के लिए मामला 19.01.2017 के लिए स्थगित कर दिया गया। 09.02.2017 को, अपीलकर्ता-पत्नी दीपिका @ रिया ने एक बयान दिया कि वह दूसरे चरण का प्रस्ताव बयान देने के लिए तैयार थी। इसके बाद, सीएसको 21.02.2017 तक स्थगित कर दिया गया। 21.02.2017 को, दोनों पक्षों का बयान दर्ज नहीं किया जा सका क्योंकि मामला 07.04.2017 तक स्थगित कर दिया गया था। 07.04.2017 को जब प्रतिवादी-पति राहुल ने एक बयान दिया कि वह 08.11.2016 के अपने आवेदन पर जोर नहीं देना चाहते हैं और 8 लाख रुपये का भुगतान करने के लिए समय देने का अनुरोध किया, तो मामले को दूसरे प्रस्ताव चरण में पार्टियों के बयान दर्ज करने के लिए 01.07.2017 तक स्थगित कर दिया गया। 01.07.2017 को दोनों पक्षों का बयान दर्ज नहीं किया जा सका क्योंकि प्रतिवादी-पति राहुल शेष राशि की व्यवस्था नहीं कर सके क्योंकि इस तरह मामला 08.08.2017 के लिए स्थगित कर दिया गया था। 08.08.2017 को, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13-बी (2) के तहत एक आवेदन दायर किया गया था और उसी के जवाब के लिए मामला 10.08.2017 को स्थगित कर दिया गया था। इसके बाद जवाब दायर किया गया और आवेदन पर बहस के लिए मामले को 17.08.2017, 21.08.2017 और 12.09.2017 के लिए स्थगित कर दिया गया। 27.09.2017 को, निचली अदालत ने एक राय बनाई कि 18 महीने की अवधि बीत चुकी है, क्योंकि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13-बी के तहत इस तरह की याचिका को निरर्थक घोषित करने के रूप में खारिज कर दिया गया था।

(7) उक्त आदेश को दोनों पक्षों द्वारा इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई है। दोनों पक्षों ने प्रस्तुत किया है कि प्रतिवादी-पति राहुल और अपीलकर्ता-पत्नी के साथ शेष 8 लाख रुपये की अनुपलब्धता के कारण कुछ गलतफहमियों के कारण उत्पन्न हुई थी, उक्त राशि की प्राप्ति के बिना दूसरे प्रस्ताव चरण में बयान नहीं दिया गया था, कार्यवाही जारी रही, लेकिन दोनों पक्षों द्वारा यह सूचित किया गया है कि उनका अभी भी एक साथ रहने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने पुष्टि की है कि वे पिछले तीन साल से अधिक समय से अलग रह रहे हैं। स्थायी गुजारा भत्ता के रूप में पक्षकारों के बीच सहमति के अनुसार 15 लाख रुपये की पूरी राशि प्राप्त हो गई है। किसी भी सुलह की कोई संभावना नहीं होने के कारण, उन्होंने गुजारा भत्ता और बच्चे की कस्टडी के बारे में अपने मतभेदों को सुलझा लिया है। कोई अन्य मुद्दा लंबित नहीं है।

(8) हमने उपर्युक्त स्थिति पर विचार किया है और एक राय बनाई है कि चूंकि तलाक के लिए आपसी

सहमति, जिसे पहले चरण में बताया गया था, आज तक मौजूद है, लेकिन केवल पति के पास धन की कमी के कारण, दूसरा प्रस्ताव बयान दर्ज नहीं किया जा सका। देरी के लिए उचित आधार हैं जो कारण हुआ है।

(9) ***अमरदीप सिंह** बनाम **हरवीन कौर*** मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13-बी (2) के प्रावधानों को ध्यान में रखा था [1] और यह देखा गया था कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13-बी (2) के तहत निर्धारित अवधि अनिवार्य नहीं है।

(10) हमने उक्त निर्णय के अनुपात और हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13-बी (2) के दायरे पर विचार किया है और हमारी राय है कि 18 महीने की अवधि समाप्त होने के हर मामले में कोई सीधा सूत्र नहीं रखा जा सकता है। प्रत्येक विशेष मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखा गया है। यदि दोनों पक्ष अपनी सहमति वापस नहीं लेते हैं और दूसरे प्रस्ताव चरण में बयान की रिकॉर्डिंग को स्थगित करने के लिए उचित आधार हैं और आपसी सहमति से विवाह के विघटन की मांग करने के लिए पार्टियों का इरादा वापस नहीं लिया जाता है, तो न्यायालय के पास हमेशा अवधि बढ़ाने का विवेक है। हम वर्तमान मामले को ऐसा पाते हैं कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13-बी (2) में निर्धारित 18 महीने की अवधि को बढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित दोनों पक्षों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उन्होंने अपनी सहमति वापस नहीं ली है।

(11) अपील की अनुमति दी जाती है। दिनांक 27.09.2017 के आदेश को रद्द किया जाता है और यह आदेश दिया जाता है कि दोनों पक्ष 15.09.2018 को निचली अदालत के समक्ष उपस्थित होंगे। निचली अदालत/उत्तराधिकारी न्यायालय उक्त तिथि पर मामले को उठाएगा और यदि पक्ष दूसरे प्रस्ताव चरण में अपना बयान दर्ज कराने के लिए तैयार हैं, तो उक्त तारीख को दूसरा प्रस्ताव चरण माना जाएगा जहां दोनों पक्ष अपने बयान देने के हकदार होंगे। यदि दोनों पक्ष उक्त तारीख या किसी अन्य बाद के दिन बयान देते हैं, जैसा कि न्यायालय के लिए सुविधाजनक हो, तो यह निचली अदालत के लिए खुला होगा कि वह पार्टियों को तलाक की डिक्री प्रदान करे।

---

[1] 2017 (4) आरसीआर (सिविल) 607

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय केवल वादकर्ता के सीमित उपयोग के लिए है ताकि व ह इसेअपनी भाषा में समझ सके और इसका उपयोग किसी अन्य उद्दे श्य के लिए नहींकिया जा सकता है। निर्णय का अंग्रेजी संस्करण सभी न्यायिक और प्रशासनिकउद्देश्यों के लिए मान्य होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिएउपयुक्त रहेगा।

हिमानी सागर
प्रशिक्षित न्याय अधिकारी, हरियाणा